भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 956
07 फरवरी, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

महासागर विज्ञान का संयुक्त राष्ट्र दशक

956. **श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डीः**
श्री श्रीधर कोटागिरीः
श्री एम॰वी॰वी॰ सत्यनारायणः
श्री पी॰वी॰ मिधुन रेड्डीः
श्री एन॰ रेड्डप्पः

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में महासागरों के सतत विकास से संबंधित मौजूदा नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान के संयुक्त राष्ट्र दशक (2021-2030) के अनुसार नीति-निरूपण के लिए कोई कदम उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री
(डॉ. हर्ष वर्धन)

(क) भारत द्वारा जून, 1995 में प्रमाणित,समुद्री कानून से संबंधित संयुक्त राष्ट्र समझौता समुद्री सीमा जल और समुद्री जोन अधिनियम, 1976 तथा महासागर नीति विवरण 1981, महासागरों के सतत विकास हेतु प्रमुख तंत्र हैं। इसके अलावा, तटवर्तीय और समुद्री पर्यावरण के प्रबंधन और सुरक्षा हेतु अनेक घरेलू कानून है।

(ख) और (ग) जी, हां। भारत संवहनीयता हेतु महासागर विज्ञान के संयुक्त राष्ट्र दशक (2021-2030) के लिए कार्य योजना तैयार करने वाले अंन्तर सरकारी महासागरीय आयोग (आईओसी) के कार्यकारी योजना समूह का सदस्य है। समुद्री पर्यावरण (आरओपीएमई) की सुरक्षा हेतु उत्तरी और मध्य हिंद महासागरीय देशों और क्षेत्रीय संगठन हेतु सतत विकास (2021-2030) के महासागर विज्ञान के संयुक्त राष्ट्र दशक के लिए क्षेत्रीय योजना कार्यशाला की मेजबानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा से 8-10 जनवरी, 2020 तक चेन्नई में की गई थी ।

*****